सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 482 राँची, सोमवार, 14 अगस्त, 2023 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(नागर विमानन प्रभाग)

अधिसूचना

10 अगस्त, 2023

अधिसूचना संख्या-ना.वि.-II-08/2012/568--राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-785, दिनांक-02.11.2022 के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखंड के अंतर्गत वैमानिक परिचालन एवं विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन हेतु Jharkhand Flying Institute नामक समिति का गठन Society Registration Act, 1860 के तहत (निबंधन संख्या-23/2023-2024/राँची) किया गया है ।

2. Jharkhand Flying Institute का संचालन Governing Council तथा General Executive Body द्वारा किया जायेगा। इस निमित्त Governing Council का गठन निम्नवत् किया जाता है-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखंड सरकार।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार।	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार।	सदस्य
5	निदेशक संचालन, नागर विमानन प्रभाग -सह- प्रबंध निदेशक, Jharkhand Flying Institute, झारखंड, राँची।	सदस्य सचिव
6	विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची।	सदस्य

3. दिनांक-11.01.2023 को संपन्न Governing Council की बैठक के निर्णयानुसार सोसाईटी द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन तथा सामान्य क्रियाकलापों के संपादन हेतु सदस्य सचिव-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में General Executive Body का गठन अगले आदेश तक निम्नवत् किया जाता है -

1	कैप्टन एस. पी. सिन्हा, प्रबंध निदेशक, Jharkhand Flying Institute।	अध्यक्ष
2	कैप्टन अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सलाहकार (नागर विमानन)।	विशेष तकनीकी सदस्य
3	श्री नग नारायण प्रसाद, अवर सचिव, नागर विमानन प्रभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड सरकार, राँची।	सदस्य सचिव -सह- कोषाध्यक्ष
4	वित्त विभाग, झारखंड, राँची द्वारा नामित अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।	सदस्य
5	उद्योग विभाग, झारखंड, राँची द्वारा नामित अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।	सदस्य
6	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड, राँची द्वारा नामित अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।	सदस्य
7	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा नामित अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।	सदस्य

उपरोक्त General Executive Body के सभी सदस्य सोसाईटी के General Body का हिस्सा होंगे ।

4. सोसाईटी के Rules & Regulation के अनुसार प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के आलोक में General Executive Body द्वारा Jharkhand Flying Institute का संचालन किया जायेगा।

5. प्रबंध निदेशक को Memorandum of Association तथा तत्संबंधित Rules and Regulations में अंकित प्रावधानों, नियमों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप Corpus fund में सहायता अनुदान के अंतर्गत उपबंधित राशि तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि से व्यय की मंजूरी तथा व्यय करने की शक्ति होगी ।

6. General Executive Body द्वारा Jharkhand Flying Institute के सामान्य कार्य, प्रशासनिक कार्य, दिनों-दैनी कार्य तथा तकनीकी कार्यो के संबंध में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु प्रबंध निदेशक, Jharkhand Flying Institute उत्तरदायी होंगे ।

7. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त मानी जायेगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(वन्दना दादेल),
सरकार के प्रधान सचिव ।